न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार)

विविध वाद संख्या– 36/2025
(मूल वाद भरण पोषण सं0–21/2023 से संबंधित)
सुमन कुमारी बनाम् निशांत कुमार

<u>आदेश दिनांक– 18.07.2026</u>

1. अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद में बार–बार पुकार कराये जाने पर भी आवेदिका की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए है।

2. अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका सुमन कुमारी के द्वारा भरण–पोषण की धनराशि की वसूली के लिए विपक्षी निशांत कुमार के विरूद्ध दायर किया गया है और इसे आज सुनवाई के लिए रखा गया था। आवेदिका को दिनांक–15.06.2026 को निर्देश दिया गया था कि बकाया धनराशि के संदर्भ में गणना प्रस्तुत करे, जिसके लिए आवेदिका द्वारा गणना दाखिल की जानी थी लेकिन आवेदिका द्वारा कोई बकाया धनराशि की गणना दाखिल नहीं की गई। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आवेदिका दिनांक–15.06.2026 से लगातार अनुपस्थित है और आज दिनांक 18.07.2026 को भी आवेदिका अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को इस वाद में कोई अभिरूचि एवं आवश्यकता नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे लम्बित रखे जाने का कोई उचित व न्यायसंगत आधार/परिस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है, जिस कारण इस वाद को खारिज करना ही विकल्प है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद, आवेदिका के द्वारा दिनांक–15.06.2026 के आदेश का अनुपालन न करने एवं आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण **खारिज** किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आवेदिका भरण–पोषण की वसूली के लिए नया वाद दाखिल कर सकेगी। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के उपरांत नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।
18.07.2026